ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, July-December 2026, Submitted in July 2026

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 : भारतीय लोकतंत्र में महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का एक अध्ययन

डॉ0 रविन्द्र सिंह राठौड, सह–आचार्य, अहिंसा एवं शांति विभाग , जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राज.) 341306
लीला महर्षि, शोधार्थी, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राज.) 341306,
nandinisahal2110@gmail.com

शोध का सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ निरंतर परिवर्तित हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान किए, किंतु व्यवहारिक स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही। संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक अत्यंत निम्न स्तर पर बना रहा। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने तथा महिलाओं को निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। वर्तमान शोध–पत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 की पृष्ठभूमि, आवश्यकता, प्रमुख प्रावधानों, महत्व, चुनौतियों तथा संभावित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियों का समाधान आवश्यक होगा।

शोध कुंजी

नारी, शक्ति, वंदन, अधिनियम, महिला आरक्षण, राजनीतिक सशक्तिकरण, लोकतंत्र, लैंगिक समानता, संसद, लोकसभा, राज्य विधानसभा, महिला प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय, महिला नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी आदि।

शोध की प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 समानता, भेदभाव निषेध एवं समान अवसरों की व्यवस्था करते हैं। इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक अपेक्षाकृत कम रही है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48 से 49 प्रतिशत है, किंतु संसद एवं विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व इस अनुपात के अनुरूप नहीं रहा।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता के पश्चात् भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए, किंतु संरचनात्मक एवं सामाजिक बाधाओं के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस पहल ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। इसी अनुभव के आधार पर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही।

महिला आरक्षण विधेयक पहली बार वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक बार इसे पारित कराने का प्रयास किया गया, किंतु राजनीतिक सहमति के अभाव में यह सफल नहीं हो सका। अंततः सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान (एक सौ छठा संशोधन) विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में लागू किया गया।

यह अधिनियम भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें नीति निर्माण एवं शासन व्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर उपलब्ध कराना भी है।

शोध के सोपान

1. **नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

भारतीय राजनीति में महिलाओं के आरक्षण का विचार नया नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक आयोगों एवं समितियों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ष 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् 1998, 1999, 2003 तथा 2008 में भी इस विषय पर विधेयक प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2010 में राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया था, किंतु लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका। लगभग तीन दशकों तक यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बना रहा। अंततः 2023 में इसे संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

(क) लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण – लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों में से एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

(ख) राज्य विधानसभाओं में आरक्षण – सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षण SC एवं ST वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में भी एक–तिहाई सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगी।

(घ) दिल्ली विधानसभा में आरक्षण–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।

(ङ) आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम – आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुक्रम के आधार पर किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को अवसर प्राप्त हो सके।

(च) अवधि – आरक्षण व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू रहेगी, यद्यपि संसद इसे आगे भी बढ़ा सकती है।

3. भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व : एक सांख्यिकीय विश्लेषण

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है।

लोकसभा	महिला सांसदों की संख्या	प्रतिशत
प्रथम लोकसभा	(1952) 22	4.4%
आठवीं लोकसभा	(1984) 44	8.1%
पंद्रहवीं लोकसभा	(2009) 59	10.8%
सत्रहवीं लोकसभा	(2019) 78	14.4%

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे–धीरे बढ़ा है, किंतु अभी भी यह उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफी कम है।

वैश्विक तुलना

देश	महिला प्रतिनिधित्व (%)
रवांडा	61%
क्यूबा	55%
मेक्सिको	50%
न्यूजीलैंड	49%
भारत (2019)	14.4%

इस तुलना से स्पष्ट होता है कि महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी अनेक देशों से पीछे रहा है।

4. नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आवश्यकता

(क) लैंगिक असमानता को समाप्त करना : राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की कम उपस्थिति लोकतांत्रिक असमानता को दर्शाती है। आरक्षण इस असमानता को दूर करने का माध्यम बन सकता है।

(ख) निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी : महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

(ग) लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना : प्रतिनिधिक लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

(घ) सामाजिक परिवर्तन : राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की वृद्धि समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगी तथा लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देगी।

5. महिला आरक्षण के संभावित लाभ

राजनीतिक लाभ : महिला नेतृत्व का विकास, राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नीति निर्माण में विविध दृष्टिकोणों का समावेश।

सामाजिक लाभ : महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह एवं लैंगिक भेदभाव में कमी, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार।

आर्थिक लाभ : महिलाओं के आर्थिक हितों से संबंधित नीतियों को बल, महिला उद्यमिता को बढ़ावा, समावेशी विकास की प्रक्रिया को गति।

6. नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चुनौतियाँ

(क) जनगणना एवं परिसीमन की शर्त : अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का कार्यान्वयन आगामी जनगणना तथा परिसीमन प्रक्रिया के बाद होगा। इससे इसके प्रभावी क्रियान्वयन में समय लग सकता है।

(ख) प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का खतरा : कुछ विद्वानों का मत है कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक शक्ति भी प्रदान करनी होगी।

(ग) राजनीतिक प्रशिक्षण का अभाव : नव निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

(घ) सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ : ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच अभी भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को सीमित कर सकती है।

7. पंचायती राज संस्थाओं का अनुभव और महिला नेतृत्व

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद भारत में लाखों महिलाएँ पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचित हुई हैं।

वर्तमान में देश में लगभग 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत हैं। अनेक राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा चुका है। इन अनुभवों ने सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ सफल नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, केरल तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिला सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

8. महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक विकास

नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। यह महिलाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में समान भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, समावेशी तथा संवेदनशील बनने की संभावना है।

महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा तथा लोकतंत्र को अधिक सहभागी स्वरूप प्रदान करेगा।

शोध का महत्व

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का महत्व बहुआयामी है। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक संवैधानिक पहल है। इसके माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होगी तथा नीति निर्माण में उनका प्रभाव बढ़ेगा। यह अधिनियम लैंगिक न्याय, सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक समावेशन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

इसके अतिरिक्त यह महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सफलता को देखते हुए यह अपेक्षा की जा सकती है कि संसद एवं विधानसभाओं में भी उनका योगदान शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनाएगा।

1. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा – यह अधिनियम संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें निर्णय–निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बनाता है।

2. लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना – महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर संविधान में निहित समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।
3. महिला नेतृत्व के विकास में सहायक – यह अधिनियम महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान कर राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करता है।
4. लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना – महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाएँ अधिक प्रतिनिधिक, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनती हैं।
5. राष्ट्रीय विकास एवं नीति–निर्माण में योगदान – महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण के समावेश से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित नीतियाँ अधिक प्रभावी बनती हैं।

शोध के उद्देश्य

1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 की पृष्ठभूमि एवं विकास का अध्ययन करना।
2. अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. भारतीय राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना।
4. महिला आरक्षण की आवश्यकता एवं औचित्य को स्पष्ट करना।
5. अधिनियम के संभावित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
6. अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना।
7. महिला सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक विकास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना।

शोध का निष्कर्ष

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अधिनियम केवल महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता संरचना में लैंगिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को संवैधानिक मान्यता देकर भारत ने लोकतांत्रिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

यद्यपि इसके कार्यान्वयन से संबंधित कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी दीर्घकालीन दृष्टि से यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी न केवल उनकी स्थिति को सुदृढ़ करेगी, बल्कि शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और समावेशी बनाएगी।

अतः कहा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति का आधार है, जो भविष्य में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समग्र राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- एम. लक्ष्मीकांत (2024), भारतीय राजव्यवस्था, मैकग्रा हिल एजुकेशन, नई दिल्ली।
- डी. डी. बसु (2023), भारत के संविधान का परिचय, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली।
- सुभाष कश्यप (2022), हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
- सुभाष कश्यप (2021), भारतीय राजनीति और संविधान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- बी. एल. फाड़िया (2023), भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
- बी. एल. फाड़िया (2022), भारतीय लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
- ओ. पी. गाबा (2022), भारतीय राजनीति, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा।
- वी. एन. शुक्ल (2023), भारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ।
- एम. पी. जैन (2023), भारतीय संवैधानिक विधि, लेक्सिसनेक्सिस, गुरुग्राम।
- ग्रानविल ऑस्टिन (हिंदी संस्करण) (2019), भारतीय संविधान : राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- निरजा गोपाल जयाल (2020), लोकतंत्र और भारतीय राज्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- जेनीव लोचन (2021), भारतीय लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- आशा कौशिक (2021), महिला सशक्तिकरण : सिद्धांत और व्यवहार, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।
- मैत्रेयी कृष्णराज (2019), महिला अध्ययन : अवधारणा एवं विमर्श, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (2023), महिला आरक्षण विधेयक, 2023 : विधायी विश्लेषण, नई दिल्ली।
- दृष्टि आईएएस (2023), महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 : विश्लेषण, नई दिल्ली।
- प्रेस सूचना ब्यूरो (2024), नारी शक्ति रू महिला विकास से महिला नेतृत्व तक, नई दिल्ली।